न्यायालय सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) झुंझुनूं, जिला झुंझुनूं (राजस्थान)

(पीठासीन अधिकारी :– सुप्रिया, आर. ए. एस.)

मुकदमा नं. :– 1596 / 2024

निर्णय दिनांक :– 23/12/26

1. श्रवण कुमार दत्तक पुत्र धुड़ाराम
2. हेतराम पुत्र लिछमण पौत्र हरदेवा
3. जगदीश पुत्र लिछमण पौत्र हरदेवा
4. महेश पुत्र लिछमण पौत्र हरदेवा
5. सुरेश पुत्र लिछमण पौत्र हरदेवा
6. रामकोरी देवी पत्नी लिछमण पौत्रवधु हरदेवा
7. राजपाल पुत्र बजरंगलाल पौत्र हरदेवाराम
8. सुनिल पुत्र बजरंगलाल पौत्र हरदेवाराम
9. कमला देवी पत्नी बजरंगलाल पुत्रवधु हरदेवा
10. बनवारी पुत्र गणपत
11. मघाराम पुत्र गणपत
12. दड़की देवी पत्नी गणपत

समस्त जाति जाट निवासीगण बड़ की ढाणी तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं।

– वादीगण

बनाम

1. मुर्ति मन्दिर श्री गोपीनाथ जी ग्राम गुढागौड़जी जरिये वादार्थ संरक्षक तहसीलदार गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं।
2. राजस्थान सरकार भूमिधारक जरिये तहसीलदार तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं।
3. महावीर पुत्र लिछमण पौत्र हरदेवा जाति जाट निवासी बड़ की ढाणी तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत् घोषणार्थ अन्तर्गत धारा 88
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

एडवोकेट वादीगण :– ईश्वर सिंह

एडवोकेट प्रतिवादीगण :– कोई उपस्थित नहीं हुआ।

संक्षेप में वादी ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम बड़ की ढाणी में सुरज्ञान उर्फ ज्ञाना नाम का व्यक्ति हुआ जिसकी वंशावली वादपत्र की मद संख्या 1 में वर्णित है। वाके ग्राम गुढागौड़जी में गत खसरा नम्बर 1863 रकबा 12 बीघा 6 विश्वा गत खसरा नम्बर 1921 रकबा 7 बीघा 2 विश्वा कुल किता 2 कुल रकबा 19 बीघा 8 विश्वा पुख्ता स्थित रहे है। ऑपरेशन सेटलमेन्ट के दौरा गत खसरा नम्बर 1863 व 1921 के नये खसरा नम्बर 2899 रकबा 3.11 है0 व खसरा नम्बर 2904 रकबा 1.79 है0 कायम किये गये। ग्राम बड़ की ढाणी नया राजस्व ग्राम सृजित हुआ तो

सहायक कलक्टर
झुंझुनूं (राज.)

उक्त नये खसरा नम्बर 2899 व 2904 के वर्तमान खसरा नम्बर 2277 व 2282 वाके ग्राम गुढागौड़जी कायम किये गये जिसे वादपत्र में विवादित भूमि के नाम से संबोंधित किया गया। देश आजाद होने के बाद एवं भारतीय संविधान लागू होने के बाद उक्त भूमि जागीरदारों की भूमि रही है। जागीरदार ही उक्त भूमि का लगान प्राप्त करते थें बाद में मन्दिर मूर्ति को सेवा भोग के लिए आय हो सके यह सोच कर तत्कालिक जागीरदारों ने उक्त विवादित भूमि का लगान प्राप्त करने का अधिकार मूर्ति मन्दिर गोपीनाथ को दे दिया। राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 के प्रभाव में आने पर भूमि का सर्वे हुआ तथा उक्त विवादित भूमि का प्रथम राजस्व रिकॉर्ड खतौनी संख्या 2012 से 2031 कायम की गई। जिसमें विवादित भूमि में प्रतिवादी नम्बर 1 का नाम कॉलम नम्बर 4 (नाम उपभोक्ता, पिता का नाम, जाति व निवास स्थान) में माफी मन्दिर श्री गोपीनाथ जी तथा कॉलम नं. 5 (कृषक) में हरदेवा, धुड़ा, गणपत पुत्र सुरज्ञाना राम उर्फ ज्ञानाराम उर्फ माना अंकित है अर्थात् राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम के प्रर्वतन में आने के समय उक्त विवादित भूमि को वादीगण के पूर्वज ही बतौर काश्तकार करते थे एवं लगान जागीरदार (प्रतिवादी नं. 1) को अदा करते थे। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रभाव में आया उस समय भी प्रतिवादी नं. 1 उक्त विवादित भूमि पर खुद काश्त काबिज नहीं रहा बल्कि वादीगण के पूर्व उक्त भूमि पर बतौर काश्तकार काबिज थे एवं लगान जागीरदारों (प्रतिवादी नं. 1) को अदा करते थे तथा जागिर खालसा होने पर उक्त भूमि का लगान राज्य सरकार (प्रतिवादी नं. 2) को अदा करने लगे। राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम की धारा 2(ज) एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 5(22) में जागीर भूमि को परिभाषित किया गया है तथा राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम की प्रथम अनुसूची के क्रमांक 15 पर एवं राजस्थान काश्तकार अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के क्रमांक 15 पर मुआफी अर्थात् माफी शब्द का उल्लेख है इस प्रकार उक्त विवादित जागीर भूमि रही है। इस कारण धारा 9 राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 के प्रावधानों के अनुसार उक्त विवादित भूमि पर वादीगण के पूर्वजों (हरदेवा, धुड़ा, गणपत पुत्र सुरज्ञान उर्फ ज्ञाना उर्फ माना निवासी ढाणी बड़ की) को टिनेन्सी अधिकार प्राप्त हो गये। हरदेवा पुत्र सुरज्ञान उर्फ ज्ञाना उर्फ माना की मृत्यु के बाद उक्त विवादित भूमि में हिस्सा 1/3 के खातेदारी अधिकार विरासत में लिछमण व बजरंग पुत्रगण हरदेवा को प्राप्त हुए तथा लिछमण व बजरंग के अधिकार विरासत में वादी नं. 2 से 9 एवं प्रतिवादी नं. 3 (वादी नं. 2 से 6 व प्रतिवादी नं. 3 को संयुक्त रूप से हिस्सा 1/6 के अधिकार व वादी नं. 7 से 9 को संयुक्त रूप से हिस्सा 1/6 के अधिकार) को प्राप्त हुए। धुड़ा पुत्र सुरज्ञान उर्फ ज्ञाना उर्फ माना के हिस्सा 1/3 के खातेदारी अधिकार धुड़ा की मृत्यु के बाद उसके दत्तक पुत्र वादी नं. 1 को प्राप्त हुए। गणपत पुत्र सुरज्ञान उर्फ ज्ञाना उर्फ माना के हिस्सा 1/3 के खातेदारी अधिकार गणपत की मृत्यु के बाद विरासत में वादी नम्बर 10 से 12 को प्राप्त हुए। उक्त विवादित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड की नकले वादी ने दिनांक 23.08.2016 व दिनांक 31.08.2016 को

सहायक कलक्टर
झुंझुनूं (राज.)

की उसके वाद प्रत्येक वादीगण से विचार विमर्श किया क्योंकि प्रत्ये वादीगण अलग–अलग रहते हैं एवं धंधा करते है इस कारण अलग–अलग समय पर आये अन्त में यह तय किया है कि उक्त विवादित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त करवाने के लिये कार्यवाही की जानी चाहिए तो वादी नं. 1 ने प्रतिवादी नं. 2 से सम्पर्क किया तो पहले तो प्रतिवादी नं. 2 आजकल–आजकल करते रहे व अन्त में दिनांक 15.11.2024 को प्रतिवादी नं. 2 ने वादी को दावा करने की सलाह दी तो यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ। अन्त में वादीगण ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया है कि विवादित भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 2277 व 2282 रकबा क्रमशः 3.11 है0, 1.79 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 4.90 है0 वाके ग्राम गुढागौड़जी में वादी नं. 1 को हिस्सा 1/3, वादी नं. 2 से 9 एवं प्रतिवादी नं. 3 को संयुक्त रूप से हिस्सा 1/3, प्रतिवादी नं. 10 से 12 को संयुक्त रूप से हिस्सा 1/3 का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी है। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण का जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर वादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में उजर एतराज कोई हो तो, निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर उजर एतराज पेश करने हेतु पाबंद किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की रजिस्ट्री रसीद पेश। तामिल हेतु जारी रजिस्ट्रर्ड एडी लौटकर प्राप्त नहीं हुई। अतः यह मानकर की प्रतिवादी संख्या 3 की तामिल सम्यक रूप से हो चुकी है। प्रतिवादी संख्या 3 बावजुद तामिल अनुपस्थित। तामिली विधिवत् पूर्ण होने के पश्चात् सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर देने के उपरांत भी पक्षकार अपना पक्ष नहीं रखते है या अनुपस्थित होते हैं, तो यह मानकर कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के अनुसार सिद्वि दिये जाने में उन्हे कोई एतराज नहीं है, उनके विरूद्ध आदेश 9 नियम 6 के तहत् एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। प्रकरण में विधिवत् तामिल होने के पश्चात् भी प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से अपना पक्ष नहीं रखने पर उन्हे EXPARTY मानकर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 औपचारिक पक्षकार है जिसका संरक्षक प्रतिवादी संख्या 2 तहसीलदार गुढागौड़जी है। प्रतिवादी संख्या 2 से वादपत्र के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार गुढागौड़जी ने अपने पत्रांक भू.अ./2025/2617 दिनांक 18.08.2025 के द्वारा वादपत्र के संबंध में रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार रिपोर्ट बिन्दूवार निम्नानुसार हैः–

- यह है कि जमाबन्दी में हाल भूमि खसरा नम्बर 2277, 2282 साबिक खसरा नम्बर 1863 रकबा 12 बीघा 6 विश्वा किस्म बारानी व खसरा नम्बर 1921 रकबा 7 बीघा 2 विश्वा किस्म बारानी 1 जमाबन्दी खाता संख्या 751 कॉलम संख्या 4 में माफी मंदिर श्री गोपीनाथ जी वाके देह पुजारी महन्त गोपाल लाल जी स्वामी साकिन जयपुर दर्ज है। उपकृषक विवरण कॉलम 5 में हरदेवा, धुड़ा, गणपत जी सुरग्याना जाति जाट सा. देह. ढाणी बड़वाली हिस्सा बराबर दर्ज रिकॉर्ड है।

सहायक कलक्टर
झुंझुनूं (राज.)

- मौका जांच पटवारी हल्का अनुसार खसरा नम्बर 2277 में सुरजभान/सुरज्ञान के वारिस तथा खसरा नम्बर 2282 में बीरबल जाति गुर्जर द्वारा आवासीय मकानात बनाकर आबाद है।
- वर्तमान रिकॉर्ड में भी भुमि खसरा नम्बर 2277, 2282 मंदिर श्री गोपीनाथ जी दर्ज रिकॉर्ड है।

तहसीलदार रिपोर्ट प्राप्त होने उपरान्त साक्ष्य के रूप में श्रवण कुमार दत्तक पुत्र धूड़ाराम ने साक्षी में मुख्य परीक्षण शपथ पत्र पेश किया तथा पत्रावली में प्रदर्श 1 लगायत 12 डाले गये।

जबावदेही व साक्ष्यवादी पूर्ण होने पर पत्रावली पर बहस श्रवण की गई। वादीगण अधिवक्ता ने बहस के दौरान वादपत्र के तथ्यों को दोहराया तथा वाद वादीगण डिक्री फरमाये जाने का निवेदन किया। उक्त उनवानी प्रकरण में वादीगण की ओर से लिखित बहस मय दस्तावेजात् का ज्ञापन भी निम्न प्रकार बिन्दूवार पेश किया :–

❖ यह कि मैने माननीय न्यायालय में यह वाद खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के लिए पेश किया है। मैं वादपत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान न करते हुए कानूनी स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं। देश आजाद होने के बाद 26 जनवरी 1950 से भारतीय संविधान लागू हुआ तथा 1952 में प्रथम आम चुनाव के द्वारा राजस्थान में निर्वाचित विधान मण्डल का गठन हुआ। उसी समय कृषि भूमियों एवं जागीर भूमियों के संबंध में राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 प्रभाव में आया। उक्त अधिनियम 1952 की धारा 9 व 10 कृषि भूमियों से संबंधित थी एवं अधिनियम 1952 की धारा 2(ज) में जागीर भूमि की भाषाएं प्रथम अनुसूची में जागीर भूमियों का उल्लेख किया गया है। धारा 9 राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम निम्न प्रकार है:–

1. जागीर भूमियों में खातेदारी अधिकार जागीर भूमि के प्रत्येक काश्तकार को जो इस अधिनियम से प्रारम्भ के समय राजस्व अभिलेखों में एक खातेदार, पट्टेदार, खादिमदार के रूप में या किसी अन्य रूप में दर्ज है ऐसे अधिकार प्राप्त रहेंगे और वह ऐसी भूमि के संबंध में खातेदार काश्तकार कहलायेगा।

इस धारा में एक शब्द "जागीर भूमि" प्रयुक्त हुआ है जिसे धारा 2(ज) में निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है:–

2(ज) जागीर भूमि ऐसी भूमि अभिप्रेत है जिसमें या जिसके संबंध में कोई जागीरदार भू–राजस्व या किसी अन्य प्रकार की आमदनी संबंधी अधिकार रखता है और इसके अन्तर्गत प्रथम अनुसूची में निविर्दिष्ट मौलिक अधिकारों में से किसी पर भी धारित कोई भी भूमि आती है।

प्रथम अनुसूची निम्न प्रकार है:–

15 – मुआफी

उक्त प्रावधाना के आलौक में इस वाद की अर्न्तवस्तु (भूमि) के प्रथम राजस्व रिकॉर्ड खतौनी सम्वत् 2012 से 2031 (जो प्रदश–1 है) में प्रविष्टी क्रमांक 521 व 502 का अवलोकन करते है तो उक्त प्रथम राजस्व रिकॉर्ड के कॉलम नं. 4 (नाम उपभोक्ता, पिता का नाम जाति व निवास स्थान) में माफी मन्दिर श्री रघुनाथ जी स्थान चिडावा का नाम दर्ज है एवं कॉलम संख्या 5 (नाम कृषक, पिता का नाम जाति निवास स्थान) में हरदेवा, धूड़ा, गणपती पि0 सुरगनाराम कौम जाट सा. देह का दर्ज है।

अर्थात् अधिनियम 1952 के प्रवर्तन के समय उक्त भूमि का काश्तकार हरदेवा, धुड़ा, गणपती पि0 सुरगनाराम रहा है तथा जागीरदार की हैसियत से माफी मन्दिर नाम दर्ज होने से यह साबित है कि उक्त भूमि मन्दिर की जागीर भूमि रही है।

सहायक कलक्टर
झुंझुनूं (राज.)

अधिनियम 1952 की धारा 10 के प्रावधानुसार खुदकाश्त भूमि के खातेदारी अधिकार किसी जागीर भूमि के पुर्नग्रहण की तारीख से किसी जागीरदार की कोई खुदकाश्त भूमि जागीरदार द्वारा एक खातेदार काश्तकार के रूप में की गई समझी जावेगी.....

इस धारा में एक शपथ ''खुद काश्त'' उपयोग हुआ है जिसे अधिनियम 1952 की धारा 2(झ) निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है।

2(झ) खुदकाश्त से किसी जागीरदार द्वारा वैयक्ति रूप से जोती गई भूमि (Any land Cultivated personally by a Jagirdar) अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गतः–

I. खुर्दकाश्त, सीर, हवाला के रूप में बन्दोबस्त अभिलेखों में अभिलिखित भूमि

II. अध्याय 4 के अधीन किसी जागीरदार को खुदकाश्त के रूप में आवंटित कोई भूमि आती है। अर्थात् उन्हीं जागीर भूमियों पर जागीरदारों को खातेदारी अधिकार प्राप्त होगी जिसके प्रथम रिकॉर्ड में वह बतौर खुद काश्त, सीर, हवाला दर्ज हो जबकि इस भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में ऐसा दर्ज नहीं है अर्थात् उक्त विवादित भूमि जागीरदार (मूर्ति मन्दिर) की खुदकाश्त की भूमि नहीं है ऐसी स्थिति में धारा 9 राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 के प्रावधानानुसार काश्तकारों को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए हैं। माननीय राजस्व मण्डल ने 2009–10 (Supp)RRT 294 एवं 2002 RRT 301 में यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया है।

❖ यह कि राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 के बाद प्रभाव में आये राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 13 के प्रावधानों से जागीरदार को खातेदारी अधिकार प्रदान किया है जिसके संबंध में अधिनियम 1952 की धारा 10 के प्रावधान लागू होते हैं। इस प्रकार यह भूमि जागीरदार (मूर्ति मन्दिर) की खुदकाश्त नहीं रही है इस कारण धारा 13 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। इस विवादित भूमि के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 के प्रावधान लागू होंगे। धारा 15 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 निम्न प्रकार है :–

15 – खातेदार अभिधारी (1) धारा–16 और धारा 180 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के उपबन्धों के अध्ययीन, प्रत्यके व्यक्ति, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय, भूमि का उप अभिधारी या खुद काश्त के अभिधारी से अन्यथा अभिधारी है ..... या जो इस अधिनियम या राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 या तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अनुसार भूमि में खातेदारी अधिकार अर्जित कर लेता है, खातेदार अभिधारी होगा .....

यहां विवादित भूमि में वादीगण के पूर्वजों में खातेदारी अधिकार राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 के अनुसार प्राप्त कर लिये है। इसी प्रकार का मत माननीय उच्च न्यायालय ने 2008(1)RLW-RJ520 में प्रतिपादित किया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 300क में प्रावधान किया गया है कि ''किसी व्यक्ति को उसकी सम्पति से विधि के प्राधिकार से ही वंचित किया जायेगा अन्यथा।''

खातेदारी अधिकारों के अवसान (समाप्ति) बाबत् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 63 में प्रावधानानुसार अभिधृतियां कब निर्वापित हो जायेगी (1) किसी अभिधारी का, अपनी जोत अथवा उसके किसी भाग में का हित, यथास्थित तब निर्वापित हो जायेगा –

I. जब वह इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार विरासत का हकदार वारिस छोड़े बिना मर जाये – या

सहायक कलक्टर
झुंझुनूं (राज.)

II. जब वह इस अधिनियम के या राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 उपबन्धों के अनुसार उसका अभ्यर्पण या परित्याग (Surrender or abandon) कर दे या

III. जब उसकी भूमि राजस्थान भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के अधीन अर्जित कर ली गई है या

IV. जब उसे कब्जे से वंचित कर दिया गया हो और उसका कब्जा प्राप्त करने का अधिकार परिसीमा से वर्जित हो जाये या

V. जब वह इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार बेदखल कर दिया जावे।

इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 63 के किसी भी प्रावधान से वादीगण के विवादित भूमि से खातेदारी अधिकार समाप्त नहीं हुए हैं।

❖ यह कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने 1996(1)SSC 612 के प्रकरण में पुजारी ने माननीय राजस्व मण्डल में रेफरेन्स प्रस्तुत कर भूमि मूर्ति श्री चार भूजा के नाम करने का आवेदन किया। अपीलान्ट दीपा का बचाव था कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये हैं इसलिए रिकॉर्ड नहीं बदला जा सकता। रेफरेन्स माननीय उच्च न्यायालय तक यथावत् रहा। इस प्रकरण में अपीलांट का नाम सम्वत् 2012 में कृषक के रूप में रिकॉर्ड में दर्ज था जिसे रेस्पोडेन्ट ने First Proceeding में स्वीकार किया था इसलिए भूमि जागीरदार की खुदकाश्त नहीं मानी जा सकती व जागीर अधिनियम की धारा 10 प्रभावी नहीं होती। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दीपा को खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी मानते हुए अभिनिर्धारित किया कि इसी प्रकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने RRD 2000 पेज 14 बालकृष्ण बनाम राजस्व मण्डल अन्य के प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 एवं राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 व 10 के संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए अभिनिर्धारित किया कि

.....

उक्त विवादित भूमि का राजस्व रिकॉर्ड धारा 9 राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 एवं धारा 15 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार काश्तकारों के नाम कायम हो गया तथा व रिकॉर्ड ऑपरेशन सेटलमेन्ट तक यथावत् काश्तकारों (वादीगण के पूर्वजों) के नाम ही रहा। ऑपरेशन सेटलमेन्ट के दौरान सेटलमेन्ट के अधिकारियों ने बिना किसी सक्षम प्राधिकारी के आदेश के उक्त विवादित भूमि का रिकॉर्ड गलत रूप से प्रतिवादी नं. 1 के नाम कायम कर दिया।

2017(1)RRT-664 कजोड़ बनाम भगवाना में माननीय राजस्व मण्डल ने 1993 RRD Page 44 में प्रतिपादित सिद्धांत का सहारा लेते हुए यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि "यह सुस्थापित सिद्धांत है कि भू–प्रबंध विभाग के अधिकारी/कर्मचारी राजस्व रिकॉर्ड में हुए अंकन को परिवर्तित करने का अधिकार नहीं रखते है।"

एक अन्य प्रकरण जो पुराने जयपुर स्टेट से संबंधित था। जैसा कि यहां अधिकार अभिलेख (Right of record) केवल जमाबन्दी को माना जाता है उसी प्रकार पुराने जयपुर स्टेट में खसरा गिरदावरी को भी अधिकार अभिलेख (Right of record) माना गया है। इसका हवाला देते हुए माननीय राजस्व मण्डल ने 2018(1)RRT 292 मन्दिर ठाकुर जी बनाम कल्याण सहाय के निर्णय के पैरा नम्बर में प्रतिपादित किया है कि गत प्रविष्टियों को परिवर्तित करने का अधिकार भू–प्रबन्ध विभाग को नहीं है। इसी प्रकार अन्य कई प्रकरणों में भी माननीय उच्चतम न्यायालयों ने यह सिद्धान्तर कई बार प्रतिपादित किये हैं कि ऑपरेशन सेटलमेन्ट को गत प्रविष्टियों को परिवर्तित करने का नहीं है। इस प्रकरण में भी ऑपरेशन सेटलमेन्ट ने ही गत प्रविष्टियों का दोहरान न करके नया राजस्व रिकॉर्ड कायम किया है जो विधि विरूद्ध है।

सहायक कलक्टर
झुंझुनूं (राज.)

अन्त में वादीगण ने जरिये वकील लिखित बहस पेशकर निवेदन किया है कि वाद वादीगण डिक्री किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी नं. 3 को भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 2899 व 2904 वाके ग्राम बड़ की ढाणी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

वकील वादीगण की लिखित बहस के जबाव में तहसीलदार गुढागौड़जी द्वारा उक्त प्रकरण में लिखित बहस पेश की गई, जोकि बिन्दूवार निम्नानुसार है:–

- मन्दिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग है जिसका संरक्षण राज्य सरकार जरिए तहसीलदार है तथा इसी हैसियत से तहसीलदार इससे संबद्ध पक्षकार है। मन्दिर मूर्ति की भूमि पर केवल काश्त करने करने के आधार से खातेदारी अधिकार उत्पन्न नहीं होते हैं। अतः वादी का वाद खारिज योग्य है।
- मन्दिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग है जो स्वयं काश्त करने में अक्षम होने के कारण वादी को खातेदारी अधिकार देना उचित नहीं है।
- मन्दिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग है जिसका संरक्षण राज्य सरकार जरिए तहसीलदार है। मन्दिर मूर्ति की भूमि पर किसी प्रकार का खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का दावा पोषणीय नहीं है। इसलिए वादी का वाद खारिज कर मन्दिर माफी की भूमि को सरंक्षित किया जाना उचित है।

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात तथा तहसीलदार गुढागौड़जी से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया एवं वादपत्र के तथ्यों का गहनता से अध्ययन किया तथा लिखित बहस पर मनन किया गया। समस्त तथ्यों के अध्ययन एवं उन पर मनन करने के उपरान्त यह सामने आया कि जिस भूमि पर वादीगण द्वारा यह दावा लाया गया है, वह विवादित आराजी वर्तमान में मन्दिर श्री गोपीनाथ जी वाके देह खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। देवता शाश्वत नाबालिग है। ऐसी स्थिति में देवस्थान की भूमि पर खातेदारी देना किसी भी रूप में उचित नहीं समझते हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 19 और 46 को संयुक्त रूप से व्याख्या से स्पष्ट है कि मन्दिर मूर्ति की भूमि पर काश्त करने के आधार पर किसी अन्य को खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते हैं। तहसीलदार गुढागौड़जी ने भी बहस के दौरान कथन किया है कि मन्दिर मूर्ति की भूमि पर केवल काश्त करने के आधार से खातेदारी अधिकार उत्पन्न नहीं होते हैं। अतः समस्त तथ्यों के आधार पर वादीगण के वादपत्र में चाहा गया अनुतोष पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–: निर्णय :–

वादीगण ने भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 2277 व 2282 रकबा क्रमशः 3.11 है0, 1.79 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 4.90 है0 वाके ग्राम गुढागौड़जी में वादी नं. 1 को हिस्सा 1/3, वादी नं. 2 से 9 एवं प्रतिवादी नं. 3 को संयुक्त रूप से हिस्सा 1/3, वादी नं. 10 से 12 को संयुक्त रूप से हिस्सा 1/3 का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अनुतोष चाहा गया है। पत्रावली एवं इसमे उपलब्ध दस्तावेजात, तहसीलदार रिपोर्ट, साक्षी का शपथ–पत्र, वादीगण तथा तहसीलदार की लिखित बहस के अवलोकन से जाहिर है कि उपरोक्त वर्णित भूमि वर्तमान में मन्दिर श्री गोपीनाथ जी वाके देह खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। देवता शाश्वत् नाबालिग है। ऐसी स्थिति में देवस्थान की भूमि पर खातेदारी देना किसी भी रूप में उचित नहीं समझते हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 19 एवं 46 की संयुक्त रूप से व्याख्या से स्पष्ट है कि मन्दिर मूर्ति की भूमि पर काश्त करने के आधार पर किसी अन्य को खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते हैं। अतः समस्त तथ्यों के आधार पर वादीगण के वादपत्र में चाहा गया अनुतोष पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। खर्चा

सहायक कलक्टर
झुंझुनू (राज.)

वान अपना–अपना वहन करें। तदनुसार अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार र दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया या।

(सुप्रिया)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
झुन्झुनू

सहायक कलक्टर
झुंझुनूं (राज.)

मूल वाद में प्राथमिक डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 ओर 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) झुन्झुनूं, जिला झुंझुनूं

(पीठासीन अधिकारी :– सुप्रिया, आर. ए. एस.)

मुकदमा नं. :– 1596 / 2024 निर्णय दिनांक :

दावा बाबत् घोषणार्थ अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
श्रवण वगै0 बनाम मूर्ति मन्दिर श्री गोपीनाथ जी वगै0

वकील वादीगण एडवोकेट ईश्वर सिंह की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 23/12/2024 को सुप्रिया, सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) झुन्झुनू के समक्ष निपटारे के पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री की जाती है कि वादीगण ने भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 2277 व 2282 रकबा क्रमशः 3.11 है0, 1.79 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 4.90 है0 वाके ग्राम गुढागौड़जी में वादी नं. 1 को हिस्सा 1/3, वादी नं. 2 से 9 एवं प्रतिवादी नं. 3 को संयुक्त रूप से हिस्सा 1/3, वादी नं. 10 से 12 को संयुक्त रूप से हिस्सा 1/3 का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अनुतोष चाहा गया है। पत्रावली एवं इसमे उपलब्ध दस्तावेजात्, तहसीलदार रिपोर्ट, साक्षी का शपथ–पत्र, वादीगण तथा तहसीलदार की लिखित बहस के अवलोकन से जाहिर है कि उपरोक्त वर्णित भूमि वर्तमान में मन्दिर श्री गोपीनाथ जी वाके देह खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। देवता शाश्वत् नाबालिग है। ऐसी स्थिति में देवस्थान की भूमि पर खातेदारी देना किसी भी रूप में उचित नहीं समझते हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 19 एवं 46 की संयुक्त रूप से व्याख्या से स्पष्ट है कि मन्दिर मूर्ति की भूमि पर काश्त करने के आधार पर किसी अन्य को खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते हैं। अतः समस्त तथ्यों के आधार पर वादीगण के वादपत्र में चाहा गया अनुतोष पोषणीय नहीं होने से ख़ारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 23/12/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा द्वारा जारी किया गया।

(सुप्रिया)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
झुन्झुनू
सहायक कलक्टर
झुंझुनूं (राज.)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
स्टाम्प अर्जी दावा	2	स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा	2	स्टाम्प अर्जी	
मेहनतनामा वकील		मेहनतनामा वकील पर	
खर्चा गवाहान		खर्चा गवाहान	
फीस कमिश्नर		फीस कमिशनर	
बाबत इजराय हुक्मनामा		बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	
योग	4	योग	

(सुप्रिया)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
झुन्झुनू
सहायक कलक्टर
झुंझुनूं (राज.)